



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021
(19 श्रावण, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि०-14/संवि०/अनु० 309/2021, दिनांक 10 अगस्त, 2021 — हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2021. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	387-388
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग—III**हरियाणा सरकार**

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 अगस्त, 2021

संख्या सांका०नि० 14/संवि०/अनु० 309/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम 6 जनवरी, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
2. हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21 में, "उच्च स्तर से" शब्द जहाँ कहीं भी आएँ, का लोप कर दिया जाएगा।
3. उक्त नियमों में, नियम 24 में, "उच्च स्तर से" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT**PERSONNEL DEPARTMENT****Notification**

The 10th August, 2021

No. G.S.R 14/Const./Art.309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, further to amend the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Service (Executive Branch) Second Amendment Rules, 2021.
(2) They shall come into force with effect from the 6th January, 2021.
2. In the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, (hereinafter called the said rules), in rule 21, the words “by the higher standard” wherever occurring shall be omitted.
3. In the said rules, in rule 24, the words “by the higher standard” shall be omitted.

VIJAI VARDHAN,
Chief Secretary to Government Haryana.